राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास (आपरबेसमेन्ट) नेट्रो मास हॉस्पिटल के पास,
सेक्टर–7 शिप्रा पथ, अरावली मार्ग के सामने, मानसरोवर जयपुर
फोन एवं फैक्स नं. 0141–2786051 ; (Email rmfdcc_2000@yahoo.co.in)

क्रमांक प. ( )/आरएमएफडीसीसी/2018–19/ दिनांक 11-6-2019

परिपत्र

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के दिशा निर्देशो के अनुसार 'निगम' (RMFDCC, जयपुर) उनके द्वारा ऋण हेतु उपलब्ध करायी गयी कुल राशि का 20% ही शिक्षा ऋण हेतु उपलब्ध करा सकता है। अतः शिक्षा ऋण हेतु उपलब्ध अल्प राशि को दृष्टिगत रखते हुए विदेश में अध्ययन हेतु ऋण दिये जाने पर मेघावी छात्र जो भारत के विभिन्न संस्थानों में मेरिट के आधार पर प्रवेश लेकर अध्ययन करते है को, ऋण राशि उपलब्ध करवाने से आ रही कठिनाई व चीन, रूस आदि देशों से एमबीबीएस पाठ्यक्रम आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाये जाने के कारण निर्णय लिया गया है कि 'निगम' द्वारा केवल भारत में स्थित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या अर्द्ध सरकारी संस्थानों व उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में मेरिट के आधार पर प्रवेश लेकर अध्ययन करने वाले मेघावी एवं जरूरतमंद छात्रो को ही ऋण उपलब्ध कराये जावे।

अतः विदेश में अध्ययन हेतु या भारत में मोटी फीस लेकर अध्ययन कराने वाले निजी संस्थानों से अध्ययन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को ऋण हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जावे। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित होकर तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

[signature] 11.6.2019
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएफडीसीसी
जयपुर

क्रमांक प. ()/आरएमएफडीसीसी/2019–20/ दिनांक 11-6-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर............................।
4. समस्त अधिकारीगण, निगम कार्यालय।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, समस्त।

[signature] 11.6.2019
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएफडीसीसी
जयपुर

D/UNIYAL SIR/ shaifali/3701